सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.12.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०	"राज्य में 17वीं विधान सभा चुनाव, 2020 के बाद चुने गये जनप्रतिनिधियों के विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) के तहत किये गये नव चयनित सड़क, नवनिर्मित सड़क अथवा अधूरे पड़े योजनाओं के संबंध में सड़कों की सूची उपलब्ध कराना ग्रामीण कार्य प्रमंडल का प्रमुख कर्त्तव्य है ताकि जनप्रतिनिधियों को यह जानकारी प्राप्त हो कि ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है । उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण देना भी ग्रामीण कार्य विभाग की महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी है । अक्सर देखा गया है कि इन महत्त्वपूर्ण कार्यों की ओर ग्रामीण कार्य विभाग अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है । अत: ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने उक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	ग्रामीण कार्य

2. श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री बच्चा पाण्डेय, स०वि०स० श्री महा नंद सिंह, स०वि०स० श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स० श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स०	''महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मस्थली सिवान जिला के जीरादेई स्थित पैतृक आवास जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, पूरी तौर पर उपेक्षा का शिकार है । आजतक न रोशनी की व्यवस्था की गई और न उसका सौन्दर्यीकरण किया गया और न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो आजादी के नायकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया का द्योतक है । अत: देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक आवास तक जानेवाली जीरादेई मोड़ से सड़क का चौड़ीकरण, सड़क के किनारे स्ट्रीट लाईट, पैतृक आवास की मरम्मती, हाई मास्क लाईट एवं आवास के बाहर पार्क का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पर्यटन / कला, संस्कृति एवं युवा

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2021- 3609 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / पर्यटन विभाग / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/11/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-29/2021- 3609 / वि०स०, पटना, दिनांक- 30 नवम्बर, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

30/11/21
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।